तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17.9.19	वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में अदायगी व लेख आम वकीलों की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया शामिल पत्रावली हो। पत्रावली दिनांक 24.9.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु०) [illegible]
NA 4 [illegible] 24.9.19	वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 RTAC की प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज ही लिखाया जा कर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (मु०) [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर
बेईजलास– श्री दीपांशू सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना संख्या 50/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नेनकंवर पत्नी स्व. मोहब्बतसिंह 2. सुमेरसिंह पुत्र स्व. मोहब्बतसिंह जाति राजपूत निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर		1. लिछमणसिंह पुत्र बचनसिंह 2. सोनसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर 3. तहसीलदार, नागौर 4. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा नागौर जरिये शाखा प्रबंधक 5. उप पंजियक नागौर

प्रार्थना पत्र अधीन 212 राज. टिनेन्सी एक्ट

निर्णय दिनांक 24.9.19

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय हाजा में पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

यह है कि वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं. 761 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद मौजा भदाणा तहसील नागौर पक्षकारान की संयुक्त कब्जे काश्त सहखातेदारी की अविभाजित भूमि है

यह है कि वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ कटाणी रास्ता चलता है तथा कटाणी रास्ते के लगते दक्षिण लम्बाई में तीन हिस्सा करके भौतिक विभाजन करवाने की पक्षकारान के मध्य सहमती बनी थी मगर बाद में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने आपस में दूरभिसंधी करके गलत हिस्सा कस्सी बताकर वाद पेश किया है तथा उसी अनुसार मौके पर पुख्ता कब्जा करने व बिना विधिवत विभाजन करवाये मनमर्जी से भूमि को बेचान, गिरवी हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को उक्त काउण्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ है काउण्टर क्लेम के निस्तारण में समय लगने की संभावना है इसलिए काउण्टर क्लेम के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी करवाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंध किया जावे कि विवादित अविभाजित सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नं. 761 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा वाके सरहद मौजा भदाणा तहसील नागौर को या इसके किसी भी भूभाग को बेचान, गिरवी हस्तान्तरण नहीं करे न प्रार्थीगण के कब्जे में दखल करे ऐसा न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा अप्रार्थी उप पंजियक को पाबंद किया जावे कि ऐसा कोई हस्तान्तरण विलेख पेश होने पर उसका पंजियन नहीं करे तथा विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु सभी अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का भौतिक विभाजन मौके पर तीन अलग अलग बंट जिसमें 1/3 हिस्सा उतर दक्षिण लम्बाई में प्रार्थीगण का, 1/3 उतर दक्षिण लम्बाई में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 उतर दक्षिण लम्बाई में अप्रार्थी संख्या 2 के बंट का होना व उसी अनुसार बंटवाड़ा भौतिक रूप से किया जाना आवश्यक हो जिस हेतु का काउण्टर क्लेम पेश किया गया हो मगर अप्रार्थी संख्या 2 अविवाहित है वृद्ध व कमजोर मानसिक स्थिति का व्यक्ति है तथा भूमाफिया लोगों के बहकावे में आकर बिना विधिवत विभाजन हुऐ वादग्रस्त आराजी का हिस्सा विशेष अपने बंट का बताकर बेचान, गिरवी हस्तान्तरण कर कानूनी पेचीदगीयां उत्पन्न करना चाहते हो व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आपस में दूरभिसंधी कर ली गयी हो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मौके पर अनजबी लोगो को लाकर भूमि बेचान करने व बाहूबलियो का कब्जा करवाने पर आमादा हो तथा ऐसी धमकियां दी जा रही हो कि भूमाफिया बाहूबली लोगो के हक में इस खसरे का विशेष हिस्सा बंट का बताकर विक्रय पत्र कर दिये जावेगे तथा वे अपने हिसाब से लाठी के बल पर कब्जा कर लेगे तथा दूरभिसंधी के आधार पर वाद को विड्रो कर आनन फानन में हस्तान्तरण करने की प्रबल संभावना हो गयी हो जबकी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हो इसके बावजूद वे ऐसा करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा, अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ कर कानूनी पेचीदगीयां उत्पन्न हो जायेगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। यह भी गलत है कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण ने वाद बाहुल्या नहीं बढे इसलिए पृथक से वाद न करके उक्त वाद में ही प्रतिवाद पेश कर यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हो व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हो व सुविधा का संतुलन भी ताफैसला काउण्टर क्लेम अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को विवादित आराजी या किसी भी भूभाग को बेचान, गिरवी हस्तान्तरण करने व प्रार्थीगण के कब्जे में दखल करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने में ही सुविधा का संतुलन हो। प्रार्थीगण ने सम्पूर्ण तथ्य बनावटी, झुठे, विधि विरूद्ध दर्ज किये है प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा था व है जिसको सभी पक्ष स्वीकार करते है तथा 1/3 हिस्से पर काबिज है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति व असुविधा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 बिल्कुल स्वस्थ है तथा उसको अपने हक हिस्से खातेदारी की भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग बेचान आदि करने का विधिक अधिकार है उसके विधिक हक हिस्से 1/3 की हद तक किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग, हस्तान्तरण करने से रूकवाने का कोई कानूनी अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है न ही विधि में ऐसा कोई प्रावधान ही है, केवल मिथ्या काउण्टर आवेदन पेश करने की गरज से ऐसे बिना आधार के बनावटी व झुठे तथ्य दर्ज किये है तथा पक्षकारान के बंट उतर दक्षिण लम्बाई में सरासर गलत रूप से बताये है जबकि वास्तविक रूप से बंटवाड़ा वाद में बताये अनुसार ही मौके पर हो रखा है जिसके अनुसार उक्त खसरे का 1/3 हिस्सा यानि रकबा 16.10 बीघा पूर्वी हिस्सा वादी/अप्रार्थी सं.1 लिछमणसिंह के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में व 1/3 हिस्सा रकबा 16.10 बीघा उतरी हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 सोनसिंह के बंट कब्जा काश्त खातेदारी में व 1/3 हिस्सा रकबा 16.10 बीघा पश्चिमी तरफ का भाग प्रार्थीगण के बंट में रखा हुवा है तथा मौके पर अप्रार्थी सं 1 के हिस्से में पानी का टांका, पशुओ का बाड़ा आदि बने हुऐ है तथा अप्रार्थी सं. 1 सोनसिंह के बंट हिस्से की भूमि में उसकी ढाणी बनी हुई है जो काफी पुराने समय से है इसलिए अब उससे भिन्न तरह से बंटवाडा नहीं किया जा सकता है मगर प्रतिवादीगण बदनियती से प्रतिवाद व काउण्टर आवेदन पेश किया है प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा का

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

संतुलन नहीं है तीनों ही बिन्दू अप्रार्थी उतरदाता के पक्ष में है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व बिना आवश्यकता के केवल मात्र रेकर्डेड काबिज काश्तकारो को नाजायज तंग परेशान करने के लिए पेश किया होने से मय खर्चा हर्जा खारिज किये जाने योग्य है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत खतौनी के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 विवादग्रस्त खसरा नम्बर 761 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा माके मौजा भदाणा तहसील नागौर के सह खातेदार है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह जाहिर हो कि अप्रार्थीगण विवादित खेत का बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा हो और न ही प्रार्थी के अलावा अन्य किसी पडौसी या गवाह का शपथ पत्र व दस्तावेज ही पेश हुआ है। ऐसी स्थिति में रेकर्डड खातेदार को उसके अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से व अप्रार्थीगण आदि रेकर्डड खातेदारों के पक्ष में साबित होने से व सुविधा के संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति से संबंधित बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित नहीं होना पाने से प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

निर्णय आज दिनांक 24.9.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर